मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 11/05/2017

क्रमांक:एफ-5(ए)/11/2016/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को म.प्र. वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम,1965 के नियम 36 (ख) के अनुसार प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु वर्ष 2013 में चयन समिति की बैठक आयोजित की जाकर 1 जनवरी, 2013 एवं 30 जुलाई, 2013 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है। वरिष्ठता क्रम अनुसार वर्ष 2009 की रिक्तियों के आधार पर वित्त सेवा अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु चयन समिति की रिव्यू बैठक दिनांक 6.10.2016 को आयोजित की गई थी। जिसमें कतिपय अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने से परिभ्रमण के माध्यम से विचार करने का समिति व्दारा निर्णय लिया गया था।

2/ अतः राज्य शासन व्दारा परिभ्रमण चयन समिति की बैठक आयोजित कर 2009 की रिक्तियों के आधार पर वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित वित्त सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड-पे रुपये 7600 स्वीकृत किया जाता है :-

स.क्र.	अधिकारी का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक
1.	श्री गोपाल प्रसाद सिंह	1.1.2009
2.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	1.1.2009

2. उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के पद पर आगामी आदेश तक कार्यरत रहेंगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा
आदेशानुसार,

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 11/05/2017

पृष्ठांकन क्रं.एफ-5(ए)/11/2016/ई/चार,
प्रतिलिपि :-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव,वित्त के स्टाफ आफिसर,
3. सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग के निज सहायक,
4. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल,
5. संबंधित विभाग ------------------------------
6. संबंधित कार्यालय ---------------------------
7. संबंधित कोषालय अधिकारी --------------------
8. संबंधित अधिकारीगण -------------------------
9. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विजय कठाने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग